न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 87/2020

स्वरूप सिंह पुत्र श्री थमण सिंह, जाति मेहरा, निवासी गांव नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

—:: बनाम ::—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 136 एल आर एक्ट

—:: उपस्थिति ::—

1. श्री राजवीरसिंह – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 1

—:: निर्णय ::— दिनांक :–31.03.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी गांव नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी है तथा काश्तकारी पेशा है। वादी का वास्तविक व सही नाम स्वरूप सिंह है व उसके पिता का नाम थमण सिंह है। इस सम्बन्ध में वादी के दस्तावेजी साक्ष्य मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं वादी के पुत्र मनप्रीत सिंह का विद्यालय रिकॉर्ड, आदि की फोटोप्रतियां संलग्न वाद पत्र हैं। वादी ग्राम पंचायत नेतेवाला के क्षेत्राधिकार में निवास करता है। ग्राम पंचायत नेतेवाला के वर्तमान सरपंच द्वारा भी वादी के सही व वास्तविक नाम के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिस पर वादी की फोटो भी चस्पा है। सरपंच, ग्राम पंचायत नेतेवाला द्वारा जारी उक्त असल प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है। वादी की कृषि भूमि चक 17–जी.जी., पटवार हल्का नेतेवाला के खाता संख्या 46/40 में दर्ज कागजात राज है। उक्त संयुक्त खाता में वादी के नाम से दर्ज 32/2011 हिस्सा भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। पूर्व में उक्त भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि वादी के पिता थमण सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। थमण सिंह की मृत्यु के उपरान्त उसके नाम दर्ज कृषि भूमि उसके वारिसान वादी व अन्य के नाम बिरासतन दर्ज हुई एवं इसी अनुक्रम में वादी के नाम 32/2011 हिस्सा भूमि दर्ज हुई। स्व0 थमण सिंह के वारिस प्रमाण पत्र में वादी का नाम लिपिकीय त्रुटिवश स्वरूप सिंह के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज हो गया जिसके चलते बिरासतन इन्तकाल भी वादी के सही नाम स्वरूप सिंह के स्थान पर रामस्वरूप के नाम से दर्ज हो गया। इसी अनुसरण में जमाबन्दी में उक्त भूमि वादी के गलत नाम रामस्वरूप के नाम से दर्ज हो गयी, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम स्वरूप सिंह है। अतः वादी अपने सही व वास्तविक नाम स्वरूप सिंह के नाम से उक्त खाता की कृषि भूमि दर्ज करवा कर उक्त

भूमि को अपने सही व वास्तविक नाम स्वरूप सिंह के नाम से खातेदारी घोषित करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। चक 17–जी.जी. के खाता संख्या 48/40 में वादी अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है। इस प्रकार उक्त खाता की भूमि में वादी का सही व वास्तविक नाम दर्ज न होकर त्रुटिवश गलत नाम दर्ज हो गया, यद्यपि वादी के पिता का नाम सही दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का उक्त गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी को अपनी कृषि भूमि सम्बन्धी ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के दौरान भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार वादी को अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कार्य करने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने गलत नाम के सम्बन्ध में बार–बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अतः दावा के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर वादी अपना सही व वास्तविक नाम स्वरूप सिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है ताकि वादी को अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कार्य करने के दौरान मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वादी के उक्त खाता में उसका गलत नाम लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हो गया है, जबकि वादी का कब्जा उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सही चला आ रहा है। अतः वादी अपने सही व वास्तविक नाम से अपनी उक्त कृषि भूमि को खातेदारी घोषित करवा कर एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवा कर उक्त खाता में अपना सही व वास्तविक नाम दर्ज करवाना चाहता है जो कि न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है ताकि वादी भविष्य में होने वाली कठिनाईयों से बच सके। वादी ने प्रतिवादी से बार–बार आग्रह किया कि वाद पत्र की मद संख्या 5 में अंकित जिस आराजी में वादी के नाम की गलती, जो कि वारिस प्रमाण पत्र में लिपिकीय त्रुटिवश वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण हुई है तथा उसका गलत नाम दर्ज हुआ है, उस रकबा को वादी के सही व वास्तविक नाम स्वरूप सिंह से दुरुस्त कर रिकॉर्ड में उसके नाम से खातेदारी दर्ज करें, मगर प्रतिवादी द्वारा टाल–मटोल करते हुए दिनांक 24.08.2020 को न केवल साफ इन्कार किया गया, बल्कि यह कहा गया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है व प्रतिवादी द्वारा वादी को इस हेतु सक्षम अदालत में दावा पेश करने का निर्देश दिया गया। अतः यही वाद कारण है एवं दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उक्त आराजी अदालतवाला के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः दावा कांबिले समाअत अदालतवाला है तथा वाद पत्र तारीख इन्कारी से बिना किसी देरी से उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वाद पत्र वादी, बहक वादी, विरुद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री सादिर किया जावे:–

(क) यह कि डिक्री दुरुस्ती की इस अमर की सादिर की जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज वादी की कपि भूमि उसके सही व वास्तविक नाम स्वरूप सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

(ख) यह कि डिक्री घोषणा की इस अमर की सादिर की जावे कि उक्तानुसार वादी का सही व वास्तविक नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर उसके हिस्से की भूमि को उसके सही व वास्तविक नाम स्वरूप सिंह के नाम से खातेदारी घोषित किया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष, जो वादी के पक्ष में हो, वह भी प्रदान किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम जमाबन्दी संवत 2067–2070 खाता न0 40 मुरबा न0 33,36 रकबा 4.022 हैक्टर मे प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र थमणसिह दर्ज है जिसे प्रार्थी स्वरूपसिह पुत्र थमणसिह करवाना चाहता है। प्रार्थी का सही नाम स्वरूपसिह पुत्र थमणसिह है तथा रामस्वरूप एवं स्वरूपसिह दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान कार्ड स्वरूप सिंह, राशन कार्ड स्वरूप सिंह, कार्पोरेशन बैंक की खाता की कॉपी नाम स्वरूपसिंह, ग्राम पंचायत नेतेवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र आधार कार्ड की प्रति पेश की। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम का नाम 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 48/40 के मुरब्बा नम्बर 33, 36 में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप के स्थान पर स्वरूप सिंह उर्फ रामस्वरूप दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर